

<u>अपीलान्ट</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोडेन्टस</u>
1. मटाधीश श्री कैलाशनाथ जी महाराज डोली बनाम आसण श्री चिडियानाथ जी खास मुख्तयारनामा जरिये गिरीवर नाथ मौजा पालासनी तहसील, जिला जोधपुर		1. फूसाराम पुत्र स्व0 अन्नाराम मेघवाल निवासी- पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर के दिनांक 15.01.2021 राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 84/20 प्रार्थी फूसाराम वगैराह बनाम मटाधीश श्री कैलाशनाथ वगैराह

उपस्थिति:—

1. श्री हेमन्त कुमार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ईश्वरसिंह श्री भागीरथ विश्णोई, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 4 दिसम्बर, 2022

1. अपीलान्ट के द्वारा यह प्रथम राजस्व अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात उपस्थित पक्षकारान अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि उक्त विवादित आराजियात खेत खसरा नं. 1242, 1244, 1411, 1278, 1470, 1498, 1499, 1533 कुल रकबा 108 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी के नाम से डोली भूमि मौजा पालासनी की जमाबंदी पुस्तिका में दर्ज है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की तथा दौरान सुनवाई यह भी कथन किया कि उक्त अपील में अप्रार्थीया ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत् रेकॉर्ड दुरुस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया की डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी के नाम खातेदारी भूमि के काफी खातों को कुछ लोगो ने पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीदार से मिली भगत कर राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1957 के नियम 166 के तहत शुद्धि पत्रों द्वारा



अतिरिक्त सम्भागीय आयोग
जोधपुर

दिनांक 26.10.2020 के संदर्भ में उक्त पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रेषित है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त पत्रों के जरिये न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी पर दबाव बनाया जाता है जब उक्त प्रकरणों में इस प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन चल रही थी। तहसीलदार का उक्त कृत्य न्यायालय को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर को उक्त प्रकरणों में विवादित खसरा भूमि डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी की खातेदारी भूमि होने के साक्ष्य में फार्म नंबर 3 के तहत प्रमाणित दस्तावेजों की निम्नांकित प्रतियां प्रस्तुत की गई है 1. खसरा बंदोबस्त 2. परचा खतौनी 3. परचा तजवीज लगान 4. खतौनी बंदोबस्त 5. खसरा गिरदावरी चौसले 6. ढाल बांछ 7. भू अभिलेख शाखा की नामान्तरकरण से संबंधित टिप्पणी 8. भू अभिलेख शाखा की जमाबंदी से संबंधित टिप्पणी 9. कलेक्टर के निजी सलाहकार की टिप्पणी व संलग्न राज्य राज्य सरकार के परिपत्र 10. राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 में देवता/प्रतिमा की प्रास्थिति इत्यादि।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों पर अधिनस्थ न्यायालय ने न तो गौर किया और ना ही उक्त दस्तावेजों को परीक्षण किया। अपीलाण्ट की ओर से मौखिक व लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरणों में जो प्रार्थी है उनसे संवत् 2011 से 2020 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मूल नामान्तरकरण जमाबंदी चौसाले व खसरा गिरदावरी की नकले मंगवाई जावे जिससे वस्तुस्थिति को खुलासा अपने आप हो जायेगा परंतु इस प्रकार की कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय ने कभी नहीं की यदि उक्त दस्तावेजों की नकले मंगवाते तो प्रकरण में निष्कर्ष और होता।

8. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि संवत् 2020 तक के गिरदावरी चौसाले फार्म नं. 3 के जरिये अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि खसरा गिरदावरी आसन बनाम चिडियानाथ जी की नाम दर्ज है। प्रकरण के प्रार्थी के नाम खसरा गिरदावरी में नाम नहीं है परंतु न्यायालय द्वारा प्रार्थी को लाभ पहुंचाने की प्रबल नियत से 2013 तक की गिरदावरी में उनका नाम नहीं होने का जिक्र नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है।

9. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहना की राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1958 के नियम 166 के तहत इस प्रकार के रिकॉर्ड की भूल सुधार की जा सकती है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम, 1957 के नियम 166 के तहत लिपिकीय अशुद्धि को सही करने ही का प्रावधान है। न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर उक्त विचाराधीन सभी 10 राजस्व प्रार्थना पत्रों/प्रकरणों में प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत उनके राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्ती करने हेतु राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के अंतिम पैरा में अंकित कर दिया कि



अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें।

प्रथमतः यह लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि तहसीलदार द्वारा इस हेतु आदेश जारी किया गया एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र में धारा 136 के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा उसकी स्वीकारोक्ति भी नहीं की गयी है इस प्रकार वह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।”

10. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1958 के नियम 166 के तहत इस प्रकार के रिकॉर्ड की भूल सुधार की जा सकती है और तहसीलदार जोधपुर को ऐसे निर्देश दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि उक्त प्रकरणों के प्रार्थीगणों के द्वारा धारा 166 की कार्यवाही हेतु अपने प्रार्थना पत्र में न तो कहीं जिक्र किया है और ना ही अपनी बहस में धारा 166 के तहत प्रकरणों की सुनवाई करने का अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया है तो अधिनस्थ न्यायालय अपने श्रवणधिकार एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर अप्राकृतिक आदेश पारित कर दिया जो पूर्णतया अविधिक एवं अस्वीकार योग्य है। इसी प्रकार अन्य प्रकरण में वर्तमान तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक भूअ./स.स./2020/3134 दिनांक 14.07.2020 को उपखंड अधिकारी, जोधपुर से राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 के तहत की जाने वाली कार्यवाही का स्पष्ट खुलासा करने का मार्गदर्शन देने का निवेदन किया था तब उक्त विषय में उपखंड अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/169 दिनांक 20.07.2020 के तहत तहसीलदार, जोधपुर को यह निर्देश दिया था कि “इस संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 166 फर्दबदर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उस अवस्था में जबकि परिवर्तन केवल किसी लिपिकीय अशुद्धि को सही करने हो अर्थात् जमाबंदी के इन्द्राज को दुसरी पडत में नकल करने में कोई भूल या किसी नामान्तरकरण को जमाबंदी में शामिल करने में हुई त्रुटि, जिसको सुधारने के लिए किसी नामान्तरकरण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पड़े।” इस प्रकार वही न्यायालय अपने उक्त अपीलाधीन आदेश में इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रार्थीगणों की ओर से इस प्रकार प्रकार का अनुतोष न चाहने पर भी तहसीलदार जोधपुर को धारा 166 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर रहा है जो न्यायालय की मंशा को दुषित करता है।

11. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी की खातेदारी भूमि के खातो में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में दिये गये आदेशों की पालना में ही तत्कालीन तहसीलदार द्वारा श्रीमान शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर के पत्रांक प12(2)देव/91 दिनांक 07.03.2003 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प12(3)राज/भ.व./1698-1704 दिनांक 27.03.2003 तहसीलदार जोधपुर का आदेश क्रमांक भूअ./2018/315-352 दिनांक 24.01.2018 की पालना में ही उक्त खसरान वाली डोली भूमि को आसन श्री चिडियानाथ जी के खाते में दर्ज किया गया है लेकिन न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर ने उक्त प्रकरणों में दिनांक 15.01.2021 को पारित आदेश में तहसीलदार



अभिलेख सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

166 के तहत इस प्रकार के रिकार्ड की भूल सुधार की जा सकती है। पत्रावली के द्वारा पूर्व में कुछ खसरो के इन्द्राजो को नोट नियम 166 के तहत दुरुस्त किया जाना पाया गया। अतः तहसील भू अभिलेख अधिकारी के रूप में तहसीलदार जोधपुर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर में दर्ज रिकार्ड को नियम 166 के तहत भूल सुधार का इन्द्राज करें”।

12. राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर व तहसीलदार, जोधपुर के आदेशानुसार ही दिनांक 24.01.2018 को राजस्व कार्मिकों के द्वारा उक्त वर्णित भूमि को पुनः डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ के नाम दर्ज की गयी है एवं उक्त कार्यवाही को तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत अब उक्त प्रकार की कार्यवाही को मात्र भूल सुधार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर व उपखंड अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अनाधिकार पूर्ण रूप से तहसीलदार जोधपुर को उक्त निर्देश दिये है। यह विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अतः अपीलान्त के अधिवक्ता का यह निवेदन है कि उक्त विषयान्तर्गत दिये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2021 पर पुनः मनन कर उचित आदेश फरमाने का कष्ट करें।

13. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता श्री ओमप्रकाश दांतीवाडा द्वारा जोधपुर जिले की सभी तहसीलों में डोली देवमूर्ति की भूमियों के निरन्तर खुर्दबुर्द की जा रही को पुनः अपने स्वरूप में लौटाने हेतु राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना करवाने हेतु जिला कार्यालय में अभियोग दर्ज करवाया। जिस पर तहसीलदार को दिशा-निर्देश दिये गये। तब उनकी पालना में दिनांक तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 13.6.19 के पत्र द्वारा अवगत कराया कि जोधपुर के समस्त पटवारी हल्का के द्वारा जमाबन्दी में लाल स्याही से देवमूर्ति की भूमियों के नोट अंकन कर दिये गये है।

14. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया गया कि तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी पालासनी व भू0अ0निरीक्षक को निर्देश दिया कि फर्द बदर लैण्ड रिकार्ड नियम 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत शुद्धि पत्र भकर उक्त लाल स्याही से अंकित नोटों को हटाकर प्रस्तुत किया जावें। उक्त आदेश के जवाब में उप तहसीलदार कूडी भगतासनी ने अपने पत्रांक 9.9.20 के द्वारा सूचित किया गया कि इन पत्रांक में विभिन्न आदेश व परिपत्रों की पालना में नोट अंकित करना दर्ज दहै अतः शुद्धिपत्र स्वीकार किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

15. तत्पश्चात अप्रार्थीगणों द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.01.2021 के अपीलाधीन आदेश द्वारा अप्रार्थीगणों के द्वारा दायर प्रार्थनापत्र को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि जमाबन्दी में अंकित नोट लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है लेकिन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के बाद भी



अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये कि वह रिकार्ड में नियम 166 राज0 लैण्ड रिकार्ड नियम के तहत भूल सुधार का इन्द्राज करें।

16. उक्त अपीलार्थी आदेश पर दिनांक 25.01.2021 द्वारा न्यायालय हाजा ने स्थगन आदेश पारित कर रोक लगा दी। उक्त स्थगन आदेश की प्रति दिनांक 25.01.2021 को तहसीलदार जोधपुर को दी गई। परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने उक्त आदेश की अवमानना करते हुए जमाबन्दी में शुद्धि पत्र का अंकन दिनांक 27.01.2021 करते हुए डोली भूमि के नोट काट दी।
17. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया गया कि जिन मूल सरकारी आदेशों व परिपत्रों की अनुपालना में जमाबन्दी में डोली भूमि का नोट अंकित किया गया उनको अप्रार्थीगणों द्वारा किसी मंच/न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में दिया गया था। जिसके क्रम में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदारान को निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्यवाही राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 तथा जिला कलेक्टर के आदेश की अनुपालना में की गई थी। ऐसे में धारा 166 लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अन्तर्गत दुरुस्त करने की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकती थी और न ही ऐसी कार्यवाही की मांग अप्रार्थीगणों के द्वारा की गई थी।
18. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया गया कि अप्रार्थीगणों के द्वारा यह नहीं बताया कि उक्त भूमि किस प्रकार से उनके पूर्वजों को प्राप्त हुई। उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष छुपाये गये। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। भू अभिलेख अधिकारी के रूप में तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ग्राम पालासनी के उक्त खसरान भूमि में दर्ज रिकार्ड को नियम 166 के तहत भूल सुधार का इन्द्राज करें। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रकरण धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के क्षेत्र में भी नहीं आता है जिसमें यह निर्धारित है कि "गलतियों का शुद्धिकरण:—भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती ओर ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार—अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें।" इससे स्पष्ट है कि शासकीय आदेशों की पालना में, विवादित भूमि को डोली आसण श्री चिडियानाथ जी महाराज के खातेदारी नोट में दर्ज किया जाना धारा 136 की परिभाषा में किसी "गलतियों" या "लिपिकीय त्रुटि" की श्रेणी में नहीं आता है।



अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जोधपुर

19. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया गया कि अप्रार्थीगणों का मामला धारा 166 राज0 लैण्ड रिकार्ड नियम 1957 के अन्तर्गत भी नहीं आते थे जिसमें "नियम 166 रिकार्ड में लेखनी की भूलों की दुरुस्ती के लिये आदेश फर्द बदर लिये जाये। जमाबन्दी के इन्द्राजात, पश्चात के रिकार्ड में तब तक नहीं बदले जाये. जब तक कि इस प्रयोजन हेतु नामा0 में परिवर्तन करने के लिये पर्व में आदेश

नकल करने में कोई भूल या कित्त नामा० की जमाबन्दी में शामिल करने में हुई त्रुटि, जिसको सुधारने के लिये किसी नामा० आदेश में परिवर्तन नहीं करना पड़े। निम्न बताये गये अपवाद के अधिनस्थ, पश्चात के अभिलेखों में ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिये आदेश फर्द बदर में किये जायेंगे। इसके लिये प्रारूप पी-27 निर्धारित है। "

20. इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण इस धारा 166 के तहत भी नहीं आते थे। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अप्रार्थीगणों के आवेदन पर आदेश दिनांक 15.01.2021 द्वारा स्वप्रेरणा से धारा 166 के अन्तर्गत विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्द्राज दुरुस्ती का निर्देश दिया जाना विधि विरुद्ध अतार्किक व मनमानी पूर्ण था, साथ ही नियम 166 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता से परे है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विपरित पारित होने से निरस्त करने योग्य है जो निरस्त किया जावे व न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 25.01.2021 के प्रभावी रहने के बावजूद भी शुद्धिपत्र के जरिये किये गये इन्द्राज को हटाते हुए विवादित भूमि को जमाबन्दी में पुनः डोली आसन श्री चिडियानाथ जी महाराज के खाते में दर्ज किये जाने का लाल स्याही से नोट अंकित करने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर 2021 (1) आरआरटी पेज 622, 2020 (1) आरआरटी पेज 91, 4721/2020 श्री ठाकुर जी महाराज ट्रस्ट बनाम राज० राज्य, उच्चतम न्यायालय के जगपालसिंह वगैराह बनाम पंजाब राज्य एआईआर, 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 1123 प्रस्तुत की।

21. प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेंट सं० 1 के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उनकी ओर से अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत् रिकॉर्ड दुरुस्ती करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खेत खसरा नं. 1242, 1244, 1278, 1411, 1470, 1498, 1499, 1500, 1533 कुल रकबा 108 बीघा 10 बिस्वा एवं ख०सं० 216 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के दादा व अनिया वल्द मूला कौम भांबी के नाम दर्ज है। अनिया वल्द मूला के देहान्त होने के उपरान्त उनके पुत्र हेमाराम, चूनाराम व फुसाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात तीनों ने उक्त भूमि का बंटवाडा कर अलग-अलग खातेदारी में दर्ज करवा दी गई। उक्त भूमि में प्रार्थी के बंट में ख०सं० 216/1 रकबा 6.01 बीघा, ख.सं. 1278 रकबा 10.10 बीघा, ख०सं० 1411 रकबा 06.19 बीघा व ख०सं० 1498 रकबा 01.06 बीघा, ख०सं० 1499 रकबा 03.17 बीघा, ख०सं० 1500/1 रकबा 11 बीघा, ख०सं० 1533 रकबा 03.10 बिस्वा की खातेदारी उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। यह है कि वर्तमान जमाबन्दी 2058 से 2061 में उक्त खसरे पर लाल स्याही द्वारा डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ का नोट अंकित है। यह है कि प्रार्थीगण फुसाराम का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 खाता संख्या 426, ख०सं० 665 में शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर के पत्रांक प12(22)देव/91 दिनांक 07.03.2003 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प12(3)



अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जोधपुर

चिडियानाथ का नोट लाल स्याही से अंकित किया गया है।

22. जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में खातेदारी को हटाकर डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी के खाते में दर्ज कर दिया गया है जबकि खातेदारी हटाने या बदलने का कोई सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं था और न ही कोई नामा० दर्ज हुआ। उक्त परिपत्र में स्पष्ट है कि अगर सेटलमेंट के समय खतौनी बन्दोबस्त डोली मंदिर के नाम दर्ज है तो उक्त खातेदारी डोली मंदिर के नाम पुनः दर्ज कर दी जावे।
23. इस प्रकार की कार्यवाही किसी भी राजस्व कर्मचारी को रेवेन्यू रिकॉर्ड से खातेदारी हटाने का अधिकार नहीं था। राजस्व कर्मचारियों को मात्र पूर्व की जमाबन्दी को ही पुनः रिपिट करने का क्षेत्राधिकार रहता है। सक्षम न्यायालय के आदेश या नामा० की कार्यवाही के जरिये ही खातेदार का नाम हटाया जा सकता है। या फिर किसी वसीयत, बेचाननामा या अन्य दस्तावेज निष्पादन के आधार पर हटाया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011-30 में प्रार्थी के द्वारा अनिया पुत्र मूला के नाम खातेदारी दर्ज है, इस कारण प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी में हुई रिकॉर्ड की हेराफेरी को रिकॉर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेवेन्यू बोर्ड, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों ने स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी खातेदार का नाम खातेदारी से हटाने से पहले उसको नोटिस व सुनवाई का मौका देने आवश्यक होता है लेकिन उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई का किसी प्रकार से कोई मौका दिये बिना ही रिकॉर्ड में परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित था।
24. रेस्पो. संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि परिपत्र दिनांक 7.3.2003 का हवाला देते हुए रेस्पोडेन्ट के पूर्व खातेदार व्यक्तियों के नाम जमाबन्दी सम्वत 2058-61 में खातेदारी भूमि में से उनके नाम को हटाकर डोली मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई। जागीरी प्रथा के खत्म होने पर जमाबन्दी सम्वत 2012 में जो काश्तकार दर्ज थे नके नाम खातेदारी दर्ज होने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में डोली की जगह खातेदार अपने स्वप्रेरणा से दर्ज कर दिये गये थे। रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सेटलमेंट परचा, मिसल बन्दोबस्त, काश्तकारों के नाम दर्ज हुए प्रमाण पेश किये गये थे मिसल बन्दोबस्त में भोक्ता डोली तथा उपभोक्ता काश्तकार दर्ज किये हुए है। अपीलाधीन प्रकरणों में पटवारी द्वारा शुद्धिपत्र इन्द्राज कर भू०अ०निरीक्षक के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया। जमाबन्दी सम्वत 2058-61 खाता संख्या 24, 44, 52, 462, 49, 63, 497, 522, 545, 566 व 571, 590 की खातेदारी भूमि को तब भू०अ०निरीक्षक ने अपनी सहमति जाहिर की, उक्त सहमति के आधार पर प्रमाणितकर्ता तहसीलदार ने सभी खाते स्वीकृत कर दिये थे जबकि प्रार्थीया के उक्त सम्पूर्ण खातों में खातेदारी का नाम हटाकर जमाबन्दी सम्वत 2058-61 में डोली के दर्ज कर दिये थे। जिनको दुरुस्ती करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा



अतिरिक्त सम्मग्रीय आयोग
जोधपुर

है। प्रार्थी के प्रकरण में जमाबन्दा में लगाये गये नोट को लिपिकिय त्रुटि में नहीं आने और हितबद्ध पक्ष (तहसीलदार) द्वारा उसकी स्वीकारोक्ति नहीं की गई बताई। साथ ही तहसीलदार जोधपुर को राज० लेण्ड रिकार्ड नियम 1958 के नियम 166 के तहत इस प्रकार के रिकार्ड की भूल सुधार किया जाना तथा प्रार्थीगणों के उक्त खसरों के इन्द्राजों के नोट नियम 166 के तहत दुरुस्त किया जाना उचित बताते हुए अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा निर्देशित किया गया था जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पों की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, खतौनी बन्दोबस्त, तहसीलदार जोधपुर के द्वारा किये गये शुद्धि आदेशों इत्यादि की प्रतियाँ प्रस्तुत की थी। अतः अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को खारिज किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावे।

25. रेस्पों संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए अपीलान्त की अपील अस्वीकार करने का कथन किया।

26. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड इत्यादि का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार "ग्राम पालासनी के ख०सं० उक्त खेत खसरा नं. 1242, 1244, 1278, 1411, 1470, 1491, 1499, 1500, 1533 कुल रकबा 105 बीघा की खतौनी बन्दोबस्त में प्रार्थी अनिया वल्द मूला कौम भाम्बी के नाम दर्ज है। उक्त खसरा ग्राम पालासनी में स्थित है तथा खातेदारी अनिया वल्द मूला के देहान्त के बाद उनके पुत्रगण हेमाराम चूनाराम व पूसाराम के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। उक्त भूमि तीनों भाईयों ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवा कर खातेदारी में अपने नाम करवा ली जिससे ख०सं० 216 रकबा 06.01 बीघा, ख०सं० 1278 रकबा 10.10 बीघा, ख०सं० 1411/1 रकबा 06.19 बीघा, ख०सं० 1499/1 रकबा 03.17 बीघा, ख०सं० 1500 रकबा 11.00 बीघा, ख०सं० 1533 रकबा 03.10 बीघा फुसाराम पिता अनाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है। यह है कि वर्तमान जमाबन्दी 2058 से 2061 में उक्त खसरे पर लाल स्याही द्वारा डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ का नोट अंकित है। यह है कि प्रार्थी फुसाराम का नाम जमाबन्दी सम्वत 2058-61 खाता संख्या 426 ख०सं० 665 में शासन सचिव देवस्थान विभाग, जयपुर के पत्रांक प.12 (22)देव/91 दिनांक 07.03.2003 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प12(3) राज/अ.व./1698-17404 दिनांक 27.03.2003 व इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/315-959 दिनांक 24.01.2018 की पालना में डोली बनाम आसन श्री चिडियानाथ जी का नोट लाल स्याही से अंकित किया गया है।"

27. राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (गुप-6) राज० जयपुर के परिपत्र क्रमांक



जोधपुर जिला कलेक्टर
राजस्थान सरकार

राजस्व अपील संख्या 111/2022 अनवान कैलाशनाथ बनाम फूसाराम वगैराह

सम्बन्ध में जो मंदिर माफी की थी, के सम्बन्ध में राज० भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पटटेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 09 निम्न प्रकार है:—“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार—जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य के रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।”

28. हस्तगण प्रकरण में राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से उक्त भूमियों में खतौनी बन्दोबस्त के समय रेस्पोजेन्टस के पूर्वज कॉलम नं. 4 में उपभोक्ता के रूप में दर्ज थे। तथा खतौनी बन्दोबस्त में “.....सा देह खातेदार” दर्ज रिकार्ड है। जागीर सेटलमेन्ट ऑफिसर, जोधपुर द्वारा जारी पर्चा लगान मौजा पालासनी के रजिस्टर नम्बर 141 के पर्चा नम्बर 35 के कॉलम संख्या 01 में अनिया वल्द मूला कौम भाम्बी सा० देह खातेदार दर्ज है। विश्लेषण पश्चात पाया है कि जमाबन्दी सम्वत 2058-2061 में पटवारी हल्का द्वारा बिना जाँच किये जमाबन्दी में नोट अंकित किया जाना पाया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

29. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्त की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है निर्णय आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
जोधपुर